नितीश कुमार
आईएएस
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग
लखनऊ- 226001
ई-मेल-md@uppcl.com
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 297/2/नो०स्मा०मी०प्रो०/पाकालि०/2026 दिनांक- 06, मई, 2026

प्रबंध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०,
वाराणसी/लखनऊ/ आगरा/मेरठ,
एवं केस्को-कानपुर।

विषय: स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में परिवर्तित करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

अवगत कराना है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित समस्त स्मार्ट मीटर जो वर्तमान में प्रीपेड मोड में क्रियाशील हैं, उन्हें पोस्टपेड मोड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में निम्नवत निर्देशित किया जाता है-:

1. आरडीएसएस योजना के अंतर्गत सभी विधाओं के सभी संयोजनों पर स्थापित समस्त स्मार्ट मीटर जो वर्तमान में प्रीपेड मोड में क्रियाशील हैं, उन्हें पोस्टपेड मोड में तत्काल परिवर्तित किया जा रहा है । प्रीपेड मोड से पोस्टपेड में परिवर्तन RMS बैकएंड से उ०प्र० पाकालि० मुख्यालय स्तर से संपादित किया जाएगा।
2. सभी उपभोक्ताओं को माह मई-2026 की ऊर्जा खपत का माह जून-2026 में देय बिल, पोस्टपेड पद्धति से निर्गत किया जाएगा।
3. स्मार्ट पोस्टपेड मोड के सभी बिल उपभोक्ताओं को एसएमएस/व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
4. सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सृजित करना सुनिश्चित किया जाए। नॉन कम्यूनिकेशन अथवा नेटवर्क की समस्या के कारण संभव है कि अति अल्प संख्या में कुछ उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरों की ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त न हो सके। ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें

महीने की 5 तारीख तक ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त न हो, उन सभी की मैनुअल रीडिंग AMISPs के माध्यम से करा कर उपभोक्ता को बिल 10 तारीख तक अनिवार्यत: उपलब्ध करा दिया जाए।

5. संभव है कि कतिपय उपभोक्ताओं का RMS में मोबाईल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, त्रुटिपूर्ण है अथवा उपभोक्ता के वास्तविक मोबाईल नंबर से भिन्न हो, जिस कारण उपभोक्ता को SMS या WhatsApp के माध्यम से बिल प्राप्त न हो सके। इस हेतु डिस्कॉम द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि जिन उपभोक्ताओं को समय से बिल न प्राप्त हो वो निम्न WhatsApp Chatbots पर संयोजन संख्या सूचित कर अपना बिल प्राप्त करें -

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	:	+91 801-096-8292
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	:	+91 766-900-3409
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	:	+91 785-980-4803
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	:	+91 801-095-7826
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	:	+91 828-783-5233

उक्त बिल 1912 पर IVRS के माध्यम से भी प्राप्त किये जा सकेंगे। इस हेतु 1912 पर शिकायत प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था बनाई जाय तथा उसका दैनिक अनुश्रवन एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

6. सभी नए संयोजन स्मार्ट मीटर के माध्यम से पोस्टपेड मोड में निर्गत किए जाएंगे।

7. चूंकि पूर्व में प्रीपेड मोड में परिवर्तन के समय उपभोक्ताओं की जमा सिक्युरिटी धनराशि बिल में समायोजित कर दी गई थी, अतः पूर्व की भांति, उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के प्रावधानों के अनुसार, पुनः पोस्टपेड मोड में परिवर्तन पर वर्तमान में प्रचलित 'कॉस्ट डाटा बुक-2026' में उपभोक्ता के विधा एवं स्वीकृत भार के अनुसार यथा निर्धारित सिक्युरिटी धनराशि चार समान किस्तों में उपभोक्ता के माह जून-2026 (जुलाई-2026 में सृजित) एवं पश्चातवर्ती 3 मासिक बिलों में जोड़ी जाएगी। यह कार्य RMS द्वारा स्वतः किया जाएगा।

8. पूर्व की भांति,विद्युत प्रदाय संहिता की व्यवस्था के अनुसार पोस्टपेड उपभोक्ता को बिल निर्गमन की तिथि से 15 दिन का Due Date एवं उसके उपरांत 7 दिन का Disconnection Date दिया जाएगा, जो कि बिल पर अंकित रहेगा।

9. पूर्व की भांति, निर्धारित Due Date तक भुगतान न करने पर उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता-2005 एवं प्रचलित टैरिफ ऑर्डर के अनुसार विलंब अधिभार अध्यारोपित किया जाएगा।

10. घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उनको और अधिक राहत देते हुए, प्रीपेड मोड से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किये जाने पर दिनांक 30.04.2026 तक के बकाये (विलंब अधिभार सहित) को 10

किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए कि विलंब अधिभार से बचने के लिए बकाये का एकमुश्त भुगतान करें।

11. पूर्व की भांति अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को दिनांक 30.04.2026 तक के बकाये (विलंब अधिभार सहित) के भुगतान हेतु 03 किस्तों (40%, 30%, 30%) की सुविधा उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।
12. कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा उनके विद्युत बिल को लेकर शिकायत की गई है । इस स्थिति के निराकरण के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष काउन्टर/कैम्प लगाए जाएंगे। इस हेतु 1912 पर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नितीश कुमार)
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपिः -

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक (वाणिज्य/वितरण/वित्त), उ०प्र० पाकलि०।
3. वरिष्ठ सलाहकार (आईटी), उ०प्र० पाकलि०।
4. निदेशक (वाणिज्य/तकनीकी), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/लखनऊ /आगरा/मेरठ, एवं केस्को-कानपुर।
5. सीईओ, मेसर्स पोलरीस/जीनस/जीएमआर/इंटेलीस्मार्ट।